

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु
पीठासीन अधिकारी—श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17/2017

अपीलांत

1. वीरमाराम पुत्र खेराजराम
2. भीयाराम पुत्र खेराजराम
3. मुकनाराम पुत्र खेराजराम
जातियान जाट निवासी
भगोणियो की ढाणी माडपुरा
बरवाला तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटस

बनाम

1. तहसीलदार बायतु
2. डूंगराराम पुत्र विशलाराम
जाति जाट निवासी माडपुरा
बरवाला पुराना गांव तहसील
बायतु जिला बाड़मेर
3. कस्तूराराम पुत्र सालूराम
4. तीजोंदेवी पत्नी विशनाराम
5. भूधरराम पुत्र पूनमाराम
6. श्रवण कुमार पुत्र भवानीसिंह
(रेस्पोडेंटस सं0 6 नाबालिग
जरिये कुदरती वलिया माता
लक्ष्मीदेवी)
7. लक्ष्मीदेवी पत्नी भवानीसिंह
8. देवाराम पुत्र गिरधारीराम
9. माडूदेवी पत्नी गिरधारीराम
जातियान जाट निवासीयान
भगोणियो की ढाणी, माडपुरा
बरवाला तहसील बायतु जिला
बाड़मेर



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध
आदेश दिनांक 28.05.2015 द्वारा तहसीलदार बायतु

- उपस्थित—
1. अपीलांतस संख्या 01 व 03 उपस्थित।
 2. रेस्पोडेंट सं. 03, 04, 07 से 09 उपस्थित।
 3. रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ना.तहसीलदार उपस्थित।

आदेश

दिनांक 09.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्तस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांतस व रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 09 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा भगोणियो की ढाणी के

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खसरा नंबर 615 रकबा 1.03 बीघा किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा नंबर 616 रकबा 45.01 बीघा किस्म बा.सो., खसरा नंबर 617 रकबा 2.03 बीघा किस्म गै.मु. खसरा नंबर 793/616 रकबा 47 बीघा किस्म बा.दो. एवं मौजा माडपुरा बरवाला के खसरा नंबर 303 रकबा 20.06 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 305 रकबा 11 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 345 रकबा 4 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 347 रकबा 6.04 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 396 रकबा 54 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 423/303 रकबा 2.05 बीघा किस्म बा.दो. तथा मौजा माडपुरा बरवाला के खसरा नंबर 601 रकबा 8.17 बीघा किस्म बा.दो. तहसील बायतु में आई हुई है। इसमें अपीलांटस को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 का संयुक्त रूप से 2/5 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 5 का 1/5 हिस्सा एवं रेस्पोंडेंट संख्या 6 से 9 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा था। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंट संख्या 02 से 09 का संयुक्त खातेदारी कब्जा काशत है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने-अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काशत करते आ रहे हैं। रेस्पोंडेंट संख्या 05 ने पक्षकारो द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमियों का बाहामी बंटवाड़ा कब्जा काशत अनुसार करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विभाजन आवेदन पत्र तैयार करवाये एवं हल्का पटवारी से सांठगाठ कर विभाजन आवेदन पत्र पर अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 02 से 09 के हस्ताक्षर करवा कर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया। तहसीलदार बायतु द्वारा बिना किसी विधिक जांच के दिनांक 28.5.2015 को विभाजन आदेश पारित किया गया। उक्त विभाजन आदेश के नक्शे का ज्ञान अपीलांटस को नहीं हुआ तथा अरसा 20 दिन पूर्व रेस्पोंडेंट संख्या 03 से 05 द्वारा अपीलांटस को उसके कब्जे काशत में हस्तक्षेप कर जबरन बेदखल करने का प्रयास करने पर अपीलांटस को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे। अपीलांटस को उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ दिनांक 21.12.2016 को प्राप्त हुई तब उसे इस विभाजन आदेश दिनांक 28.5.2015 की जानकारी हुई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।



1/4
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई।
4. रेस्पोंडेंट सं. 03, 04, 07 से 09 ने कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंट संख्या 02 से 09 के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। दोनो पक्षकारान के सहमत होने पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तहसीलदार बायतु के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाड़ा सही होना स्वीकार किये जाने के पश्चात तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त विभाजन आदेश पारित किया गया। अपीलांटस को उक्त विभाजन आदेश की जानकारी शुरू से थी, परन्तु तत्समय इनके द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया। एक साल बाद विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसमें विलम्ब का कोई उचित एवं ठोस कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।
5. अपीलांटस संख्या 01 व 03 का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय दो सह खातेदारान के मध्य भूमि की उर्वरा स्थिति एवं पक्षकारो के कब्जा काश्त का ध्यान नहीं रखा गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की गैर हाजरी में एकपक्षीय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अपीलांटस अनपढ़ एवं निरक्षर होने के कारण उन्होने अपने हस्ताक्षर कर कागजात रेस्पोंडेंट संख्या 5 एवं हल्का पटवारी को दे दिये। हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर रेस्पोंडेंट संख्या 5 ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किये। विभाजन आदेश बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त में भारी अन्तर है, जिसके कारण अपीलांटस की ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोंडेंटस के कब्जे में चले गये। अपीलाधीन विभाजन अपीलांटस की गैर हाजरी में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक **28.5.2015** खारिज किया जाए।
6. हमने उभय पक्षो को सुना गया। अपीलांटस का यह तर्क है कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांटस की स्थाई रहवासी ढाणियों व स्थाई पानी के टांके, पशुओं एवं चारे के बाड़ो को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोंडेंटस संख्या 02 से 09 के



W —
 अपर कलक्टर बाड़मेर
 (ए.डी.एम.)

हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांटस के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे हैं। तहसीलदार बायतु द्वारा दिनांक 28.5.2015 को किया गया बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काशत अनुसार नहीं किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्टस को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 21.12.2016 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काशत अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

7. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंट सं. 03, 04, 07 से 09 के कथन पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 28.5.2015 के विरुद्ध पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोंडेंटस संख्या 02 से 09 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा भगोणियो की ढाणी के खसरा नंबर 615 रकबा 1.03 बीघा गै.मु.ढाणी, खसरा नंबर 616 रकबा 45.01 बीघा दो.सो., खसरा नंबर 617 रकबा 2.03 बीघा गै.मु. खसरा नंबर 793/616 रकबा 47 बीघा किस्म बा.दो. एवं मौजा माडपुरा बरवाला के खसरा नंबर 303 रकबा 20.06 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 305 रकबा 11 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 345 रकबा 4 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 347 रकबा 6.04 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 396 रकबा 54 बीघा किस्म बा.दो., खसरा नंबर 423/303 रकबा 2.05 बीघा किस्म बा.दो. तथा मौजा माडपुरा बरवाला के खसरा नंबर 601 रकबा 8.17 बीघा किस्म बा.दो. तहसील बायतु में आई हुई है। इसमें अपीलांटस को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 का संयुक्त रूप से 2/5 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 5 का 1/5 हिस्सा एवं रेस्पोंडेंट संख्या 6 से 9 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा था। अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 02 से 09 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय विभाजन प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार बायतु द्वारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए हल्का पटवारी से मौके की जांच कर मौके पर पक्षकारान के कब्जा काशत अनुसार नक्शा व विभाजन प्रस्ताव तैयार किये। विभाजन सभी पक्षकारान की आपसी सहमति से किया गया, सहमति स्वरूप सभी पक्षकारान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए, फलस्वरूप अपीलांटस को उक्त विभाजन की जानकारी शुरू से ही थी। विभाजन आदेश



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

28.5.2015 को पारित किया गया अपीलांत द्वारा उक्त अपील 20 माह विलम्ब से पेश की गई, इतने लम्बे विलम्ब का कोई ठोस एवं उचित कारण पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांतस की अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 28.5.2015 यथावत रखा जाता है।



14 —

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को सुनाया गया।

14 —

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)